भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

RBA No.16 /2025
GST Circular No.04/2025

No.2017 /A/C-II/ 1/6/GSTMAIN/VOL.IV New Delhi, Dated 08.05.2025

General Managers
All Zonal Railways / Production Units

Sub: Further Clarification regarding Compliance with TDS Provisions under GST for Supply of Metal Scrap by Indian Railways to Registered Dealers.

Ref: 1.RBA No.1/2025/ GST Circular No.1 dated 03.01.2025
2. Railway Board's letter no. 2008/RS(G)/777/1 dated 22.11.2017

******

In view of the RB letter under ref (2), following amendments are made in RBA No.01/2025 dated 03.01.2025.

Particulars	Earlier	As Amended
Whether GST-TDS under IGST (2% in case of IGST) be also applicable on Railways?	**Given that the Place of Supply (POS) of metal scrap supplied by the Railway is the same as the place of supplier, TDS under IGST shall not be applicable to these transactions of the Railways.**	**As per the clarification issued by the Railway Board's letter no. 2008/RS(G)/777/1 dated 22.11.2017, where the place of supply or location of recipient is different than the location of supplier, GST-TDS shall be applicable @2% of the taxable value in the form of IGST. Hence, TDS will be applicable in such cases.**

The scenario table also stands amended accordingly. All Zonal railways and Production units may take note of the above and ensure GST compliance in consultation with their local GST consultants.

Digitally signed by Megha Agrawal
Date: 08-05-2025 12:06:48

Megha Agrawal
Director (Accounts)
Railway Board

Copy to: 1. Sr. PPS to all Members of Railway Board
2. PFAs of all Zonal Railways/Production Units
3. Managing Director, CRIS
4. Director Finance, CRIS
5. GM/IREPS, GSTM, CRIS

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 16/2025
जीएसटी परिपत्र सं. 04/2025
नई दिल्ली, दिनांक 08.05.2025

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी मेन/वॉल.IV

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय : भारतीय रेलों द्वारा पंजीकृत डीलरों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति के लिए जीएसटी के तहत टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आगे स्पष्टीकरण।

संदर्भ : 1. दिनांक 03.01.2025 की आरबीए सं. 01/2025/जीएसटी परिपत्र सं. 1.
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.2017 का पत्र सं. 2008/आरएस(जी)/777/1.

******

संदर्भ (2) के तहत रेलवे बोर्ड के पत्र को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 03.01.2025 की आरबीए सं. 01/2025 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

विवरण	पूर्व	यथा संशोधित
क्या जीएसटी-टीडीएस आईजीएसटी के तहत (आईजीएसटी के मामले में 2%) रेलों पर भी लागू होगा?	जैसा कि रेलवे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मैटल स्क्रैप की आपूर्ति का स्थान (पीओएस) आपूर्तिकर्ता के स्थान के समान ही है, तो रेलवे द्वारा किए गए इन लेनदेनों पर आईजीएसटी के तहत टीडीएस लागू नहीं होगा।	रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.11.2017 के पत्र सं. 2008/आरएस(जी)/777/1 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां आपूर्ति का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान आपूर्तिकर्ता के स्थान से भिन्न है, वहां आईजीएसटी के रूप में कर योग्य मूल्य का 2% की दर से जीएसटी-टीडीएस लागू होगा। अतः ऐसे मामलों में टीडीएस लागू होगा।

परिदृश्य तालिका भी तदनुसार संशोधित की गई है। सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयाँ उपरोक्त पर ध्यान दें और अपने स्थानीय जीएसटी सलाहकारों के परामर्श से जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह०

मेघा अग्रवाल
निदेशक (लेखा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस
4. निदेशक वित्त, क्रिस
5. महाप्रबंधक/आईआरईपीएस, जीएसटीएम, क्रिस